



नेपाल राजपत्र

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५६) काठमाडौं, कात्तिक १० यते २०६३ साल (अतिरिक्ताङ्क ४० (क

भाग ३

नेपाल सरकार

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना

नेपाल सरकारको निर्णयानुसार सरकारी मुद्रा सम्बन्धी ऐन, २०४६
को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रथोग गरी सोही ऐनको अनुसूची १ को
प्रकरण १७ हटाई प्रकरण ३४ पछि देहाय बमोजिमको प्रकरण ३४क
थपिएको छः—

“३४ क. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्रा”

आज्ञाले,
डा. कुलरत्न भूतेल
नेपाल सरकारको सचिव

मुद्रण विभाग, सिहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित । मूल्य रु. ५।—
गो.ह. द. नं. १६।२०६२।६३

८४०
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ

କାନ୍ତିମାଳା ପରିଚାରକ ପତ୍ର

(ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ ୨୦୧୯୦୫ ମସିହା ଜାନ୍ମିତିତାରେ ୨୫ମାତ୍ର)

ରାଜ୍ୟ

ଲାଗୁ

ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ କାନ୍ତିମାଳା ପରିଚାରକ ପତ୍ରରେ ମହାନ ମାନ ରାଜ୍ୟର
୨୫୦୨ ମୂର୍ଖ ବିଷୟରେ ଏହା ଗର୍ଭା�ାବୀନି କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ ଥାଏନ୍
କି କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କାହାରେ ଏହା ମାନିବ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କି
କାହାରେ ଏହା ମାନିବ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ
କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ

କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ କିମ୍ବାଲାଙ୍ଘନ

କାନ୍ତିମାଳା
ପରିଚାରକ ପତ୍ର
ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ

କାନ୍ତିମାଳା ପରିଚାରକ ପତ୍ର
ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ

୮୨୫

ଆଧିକାରିକତା ମୁଦ୍ରଣ ବିଭାଗବାଟ ପ୍ରମାଣିତ ଗରିଏପଛି ମାତ୍ର ଲାଗୁ ହୁନେଛା